ग्राम पंचायत जेष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) जिला कुल्लू के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जेष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति ठाकरी देवी	01.04.22 से 31.03.2024 तक

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री निर्मल कुमार	01.04.22 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जेष्ठा के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का समाधान न करने बारे	1.56

2	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	34.72
3	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	1.28
4	7	मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	04.98
5	8	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे ।	30.00
6	9 ख)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर से रॉयल्टी से सम्बन्धित फॉर्म 'x' या 'w' प्रस्तुत न करने के कारण राज्य राजस्व कि सम्भावित हानि	0.76

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत जेष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.10.2024 से 10.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	10/22	09/22
2022-23	03/24	05/23

<u>अस्वीकरण :-</u> अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत जेष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की

राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 10 दिनांक 10.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है । जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत जेष्ठा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्त्रोत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत जेष्ठा के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्वः स्त्रोतों व कुछ अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (1)** में संलग्न है:-

Financial position of Own sources and Grants of Gram Panchyat Jeshtha					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	7315686.76	3840471	11156157.76	6558918	4597239.76
2023-24	4597239.76	4606851	9204090.76	3393713	5810377.76

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत जेष्ठा के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (2)** में संलग्न है :-

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Jeshtha					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2526966.00	2035153.00	4562119.00	1065759.00	3496360.00
2023-24	3496360.00	552390.00	4048750.00	576414.00	3472336.00

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्वः स्रोत व अन्य अनुदान :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	5810377.76
15 वां वित्तायोग :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	3472336.00
जमा : 15 वां वित्तायोग में ब्याज प्राप्ति को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	20071.00

जमा : 15 वां वित्तायोग में ब्याज प्राप्ति को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	20688.00
जमा : 15 वां वित्तायोग में ब्याज प्राप्ति को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	26277.00
स्व: स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	9349749.76
कुल योग	**9349749.76**
दिनांक 31.03.23 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष	20.00
दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष (**परिशिष्ट -3**)	9193945.45
कुल योग	**9193965.45**
अंतर की राशि	**155784.31**

(iii) एम जी नरेगा (परिशिष्ट -4)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Jeshtha					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	0.00	2946942.00	2946942.00	2946942.00	0.00
2023-24	0.00	4252536.00	4252536.00	4252536.00	0.00

4.1 E- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹1.56 लाख का समाधान न करने बारे ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था। पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नही किया गया था । इस प्रकार **E- Gram swaraj** एप्लीकेशन के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **E- Gram swaraj** रोकड़ बही मे अंतर के कारण **E- Gram swaraj** रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रिआसॉफ्ट में लेखो के सही होने की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकती। अत: ग्राम

पंचायत की **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹155784.31** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 04 दिनाँक 04.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 स्व: स्त्रोत के पृथक पंचायत निधि खाता "क" न खुलवाने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित,बजट,लेखे,सम्परीक्षा,सकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार ग्राम पंचायत के अपनी आय (स्व स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा | यह खाता पंचायत निधि खाता –"क" के रूप में जाना जाएगा तथा' सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियों के लिए पृथक खाता खोला जाएगा, जो पंचायत निधि खाता –"ख" के रूप में जाना जाएगा । अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते में किया गया था तथा सभा निधि से सम्बधित आय व्यय को अनुदानों बाले खाते से ही प्राप्ति एवं भुगतान किया जा रहा है जो कि उक्त नियम के विपरीत है | इससे सभा निधि के सही आय व्यय का पता लगाना कठिन है व न ही अनुदान राशियों के उपयोग होने का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा शीघ्र ही अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक खाता खोला जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि सभा निधि में प्राप्त आय की गणना के उपरांत सभा निधि के लिए खाता (क) का अलग से रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5 **(क) 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान ₹ 34.72 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव ग्राम पंचायत जेष्ठा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.22 तक 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान से ₹ 34,72,336.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी । जिसका विस्तृत विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)** में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः 15 वां वित्तायोग की अनुपयुक्त अनुदान राशि को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान राशियों का 31.03.2024 तक उपयोग हेतु शेष राशि बारे ।

अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि पंचायत द्वारा अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते (मिश्रित रूप) में किया गया था जो कि उक्त नियम के विपरीत है इससे अनुदान राशियों के उपयोग होने तथा शेष राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त नही होता है । ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि किस शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि व्यय की गयी थी। परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना कठिन है कि वर्ष 2023-24 में अनुदान की कितनी राशि उपयोग हेतु शेष थी । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।अत : परामर्श दिया जाता है कि अनुदान राशियों व सभा निधि को एक खाते में न रख के अलग-अलग खाते का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत जेष्ठा द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल

प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है । अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 1.28 लाख की वसूली न करना** :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (5)** अनुसार **₹127700** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय ₹0.09 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत जेष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर), जिला कुल्लू (हि० प्र०) की अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी राशि ₹9280 को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्राप्ति	रोकड़ से व्यय राशि	जमा बैंक
2022- 23	4920	4830	
2023-24	23460	4450	19100
योग	**28380**	**9280**	**19100**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त की गई समस्त राशियों को लेखाबद्ध करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें व उपरोक्त पाई गई त्रुटि को न दोहराया जाए।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹2200 की कम वसूली करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹ 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2200** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तारीख	विवाह पंजीकरण की तारीख	वसूली योग्य राशि	वसूल की गयी राशि	कम प्राप्त राशि
1	19017/17.08.22	Sh. Heera lal S/o Sh. Puran Chand	14.07.22	17.08.2022	400	200	200
2	19023/08.09.22	Sh. Ram Jeevan s/o Sh. Tikam ram	03.07.22	08.09.2022	400	200	200
3	19028/27.09.22	Sh. Om Pal S/o sh. Dola Singh	20.08.22	27.09.2022	400	200	200
4	19059/25.02.23	Sh. Varun Singh S/o Late. Sh. Amar nath	05.11.22	25.02.2022	400	200	200
5	19068/10.03.23	Sh. Narender Singh S/o Sh. Revti Ram	01.01.23	18.03.2023	400	200	200

6	Nil	Sh. Chaman lal S/o Sh. Om Prakash	15.07.22	29.07.2022	200	0	200
7	Nil	Sh. Ghanshyam S/o Sh.Joji Ram	28.11.22	09.12.2022	200	0	200
8	Nil	Sh. Panna Lal S/o Sh. Tej Ram	09.03.23	13.03.2023	200	0	200
9	Nil	Sh. Chander Kiran S/o Sh. Gian Chand	17.02.23	20.03.2023	400	0	400
10	Nil	Sh. Subhash Chand S/o Sh. Yan chand	Nil	21.02.2024	200	0	200
		Total					**2200**

सचिव ग्राम पंचायत जेष्ठा को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व तत्पश्चात सम्बन्धित विभाग के आय शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करके, अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹0.12 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधियाचना संख्या :- एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संसोधन) नियम 2016) के बिन्दु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नगद द्वारा या Money ओर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी व इस शुल्क की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी की जाएगी । ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के अभिलेखों की पड़ताल एवं उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार पंचायत को वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **परिशिष्ट -6** अनुसार ₹ 12000 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी । नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा विवाह

पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राजकीय कोष के शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा नहीं करवाया जा रहा है । उक्त धन राशि को ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि 04/2022 से 03/2024 तक ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी I सचिव ग्राम पंचायत जेष्ठा को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 05 दिनाँक 04.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को शीघ्र ही संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः विवाह पजीकरण शुल्क को सम्बन्धित विभाग को प्रदान न करने का कारण व हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2016 की अनुपालना न करने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए व इस राशि को उपरोक्त दिए गए आश्वासन अनुसार जमा करवाकर के, अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए I

7. मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य ₹04.98 लाख की माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत ₹ 50,000 से अधिक है को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा ₹ 25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा " ट्रेक्टर योग्य सड़क निर्माण कार्य रोगना, मोगरा से रोगना धार तक" के कार्य करने हेतु JCB के द्वारा की गयी खुदाई हेतु ठेकेदार को बिल संख्या 005 दिनांक 03.08.22 व बिल संख्या 015 दिनांक 02.01.23 के अनुसार क्रमश : ₹ 218486.00 व ₹ 280000.00 की राशि का भुगतान किया गया था। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा इस निर्माण कार्य से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । जिस कारण

ठेकेदार को भुगतान की गयी राशि ₹498486.00 की तुलना व सत्यापन माप पुस्तिका के साथ नहीं की जा सकी जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि जिस कार्य हेतु राशि का भुगतान किया है वास्तविक में उस राशि के बराबर कार्य किया गया है अथवा नहीं । परिणामस्वरूप पंचायत द्वारा किए गए सड़क निर्माण के कार्य हेतु भुगतान की गई राशि की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी व इस संबंध में अंकेक्षण में रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना भुगतान की गई राशि संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होती है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 07 दिनाँक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्य की माप पुस्तिका ब्लॉक ऑफिस में होने के कारण प्रस्तुत नहीं की गयी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोष जनक नहीं है। अतः निर्माण कार्य से संबन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना व की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹ 30.00 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे ।

सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनांक जुलाई 2018 के अनुसार ₹ 5.00 लाख से अधिक के सामान को क्रय करने व निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत जेष्ठा के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **परिशिष्ट -7** अनुसार कुल ₹ 3000000/- के निर्माण कार्य जिनका स्वीकृत मूल्य ₹5.00 लाख व उससे अधिक था उस कार्य का निष्पादन करने हेतु E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 06 दिनाँक 05.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में नियम की जानकारी न होने के कारण राशि का व्यय कर लिया गया था परंतु भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा व त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत : E-Tendering ई-

टेंडरिंग की प्रक्रिया को न अपना करके, पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

09. (क) सामान्य निधि से ₹ 06.00 लाख के निष्पादित निर्माण कार्यों को प्राकलन (Detailed Estimate) के अनुसार निष्पादित न करने बारे ।

ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दिये गए कार्यों को करने हेतु JCB के द्वारा की गयी खुदाई हेतु ठेकेदार भुगतान किया गया था। जिससे संबन्धित अभिलेखो की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कार्य प्रस्तुत किए गए Estimate व Detail of Measurement के अनुसार निष्पादित नहीं किए गए थे । पड़ताल में पाया गया कि इन कार्य में **Detail of Measurement** के अनुसार जितनी RD (लंबाई) हेतु खुदाई कार्य करना अपेक्षित था उससे कम RD (लंबाई) हेतु खुदाई का कार्य किया गया था । जबकि नियमानुसार जितनी RD हेतु प्राकलन तैयार किया गया था उतनी ही लंबाई से खुदाई का कार्य शुरू करना अपेक्षित था परंतु माप पुस्तिका अनुसार इन कार्यों को 0/0 RD से शुरू किया गया था व न ही इससे संबन्धित कोई Revised estimate अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया तथा न ही इन कार्यों की माप पुस्तिका को तकनीकी सक्षम अधिकारी से सत्यापित किया गया था । जोकि अनुचित तथा अनियमित प्रतीत होता है । परिणामस्वरूप जितनी लंबाई (RD) तक खुदाई करने हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था क्या वास्तव में उस राशि का उपयोग उतनी ही लंबाई (RD) की खुदाई करने हेतु किया गया है अथवा नहीं । प्राकलन के अनुसार कार्य न होने की स्थिति में पंचायत द्वारा किए गए सड़क निर्माण के कार्य हेतु भुगतान की गई राशि की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी ।

कार्य का नाम	**निधि का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या**	**प्राकलन के Detail of Measurement अनुसार कार्य की लंबाई (RD)**	**माप पुस्तिका अनुसार कार्य की लंबाई (RD)**
C/o tractor road Rogna Khel maidaan to Kothin	LADA	300000	311/26-27	RD 255 to RD 610	RD 0/0 to RD 330
C/o tractor road from Kamutin to Starig	LADA	300000	311/31-33	RD 610 to RD 1000	RD 0/0 to RD 630
Total		**600000**			

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में विभागीय स्तर पर अपेक्षित जांच की जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा । अत : कार्य को नियमानुसार न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन कार्यों में किए गए बदलाव को उचित तकनीकी सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त यदि किए गए कार्य में कोई अनुचित एवं अधिक भुगतान पाया जाता है तो इसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर द्वारा फॉर्म 'X' अथवा 'w' प्रस्तुत न करने के कारण ₹0.76 लाख के राजस्व की हानि

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा । ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय सुनिश्चित करना है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा या तो सम्बन्धित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है या फॉर्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना होता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत में आपूर्ति करके प्रयोग में लाई गई रेत, बजरी अथवा पत्थर इत्यादि के सन्दर्भ में न तो फॉर्म 'X' अथवा 'W' न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को वैध नहीं माना जा सकता तथा दूसरी ओर सरकारी राजस्व ₹75788/- की भी हानि हुई है जिसका विवरण **परिशिष्ट (8)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक नहीं वसूली गयी थी जिसे संबन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को

नहीं दोहराया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति वैध स्रोत से की जाए व आपूर्ति कर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा फॉर्म 'X' अथवा 'W' की गई आपूर्ति के एवज में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.27 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 27805** की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट (9)** में दिया गया है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(घ) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹ 250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा

2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है। सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों को करने हेतु ₹ 1939274.00 की राशि भुगतान किया गया था इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर **₹38785.00** की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट (10)** में दिया गया है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : उपरोक्त प्रकरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (double attendance) लगाने के कारण ₹ 0.04 लाख अनियमित व अनुचित लाभ प्रदान करने बारे :-

ग्राम पंचायत जेष्ठा खण्ड कुल्लू (भुंतर) जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तिथि में विभिन्न कार्यों हेतु मस्ट्रोल जारी किए गये थे जिसमे काम करने वाले मजदूरों को एक ही तिथि में एक से अधिक मस्ट्रोल में हाजिरी दर्ज की गयी थी जबकि नियमानुसार एक समय में व्यक्ति एक ही कार्य में उपस्थित हो सकता है जिसका विवरण संलग्न है । इस प्रकार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को एक समय में एक से अधिक कार्यों में उपस्थित होने के कारण **₹ 3850** का अनियमित व अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी जाँच ग्राम पंचायत द्वारा न ही मस्ट्रोल जारी करते समय की गयी तथा न ही मस्ट्रोल का भुगतान करते समय की गई। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (doubleattendance) के लाभ प्रदान किए गए जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के प्रयास को भी दर्शाता है। उक्त मामले में

नियमानुसार कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	दोहरी हाजरी वाले दिनों की संख्या	भुगतान दर	भुगतान राशि
VKVNY	11576	24.03.2023	निर्माण सड़क राम नगर बस स्टैंड से सैन भृगुपुर माहल	श्री तेजिंद्र कुमार पुत्र श्री बेली राम	01.04.23 से 30.04.2023	25 दिन			
SDRF	11577	24.03.2023	मुरम्मत GPS राम नगर	श्री तेजिंद्र कुमार पुत्र श्री बेली राम	01.04.23 से 30.04.2023	11 दिन	11 दिन	350	3850
कुल योग									3850

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : इर प्रकार के समस्त मामलों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उपरोक्त पाए गए प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में भी यदि कोई अधिक व दोहरा भुगतान पाया जाता है तो राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹ 3300 का अधिक भुगतान ।

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को **₹ 3300** के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है :-

कमांक	नाम	अवधि	कुल हाजरी	भुगतान की गई राशि	वास्तविक भुगतान राशि	अन्तर
1	नैणा देवी	01/07/2022 31/12/2022	11	3600	3300	300
2	धनश्याम राज	01/07/2022 31/12/2022	7	3300	2100	1200
3	रमेश चन्द	01/07/2022 31/12/2022	10	3000	3000	0
4	रमा शर्मा	01/07/2022 31/12/2022	11	3300	3300	0
5	कौशल्या देवी	01/07/2022 31/12/2022	11	3300	3300	0
6	प्रदीप कुमार	01/07/2022 31/12/2022	8	3300	2400	900
7	भोज प्रकाश	01/07/2022 31/12/2022	11	3300	3300	0
8	शान्ता देवी	01/07/2022 31/12/2022	8	3300	2400	900
9	चन्द्र किरण	01/07/2022 31/12/2022	12	3600	3600	0
						3300

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मानदेय के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल कर के पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. मनरेगा निधि से ₹ 2509 का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे ।

ग्राम पंचायत ज्येष्ठा खंड कुल्लू (भुंतर), जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि

पंचायत द्वारा निर्माण कार्य "C/o Cow shed Mera Devi W/o Ram Nath (CM-1 bigha Yojna)" हेतु मस्टरोल संख्या 648 दिनांक 20-04-23 के अनुसार 72 Men Days हेतु ₹ 15054 की राशि का भुगतान किया गया था जबकि उपरोक्त कार्य की माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 450 के पृष्ठ संख्या 86-87 में दर्ज उपरोक्त कार्य हेतु 60 Men days हेतु ₹ 12545.00 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । परिणामस्वरूप उपरोक्त कार्य हेतु **₹ 2509** की राशि का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया था । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वसूली करके निधि में जमा कर दिया जाएगा तथा जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : अतिरिक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13. पंचायत के बार्ड सदस्यों द्वारा मनरेगा निधि तथा पंचायत मीटिंग में दोहरी हाजिरी लगाने के कारण ₹ 635 की राशि का अधिक भुगतान करने बारे ।

ग्राम पंचायत ज्येष्ठा कुल्लू (भुंतर), जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के बार्ड सदस्यों द्वारा एक ही दिन में मनरेगा निधि में तथा पंचायत मीटिंग में उपस्थिति दर्ज की गयी थी जिस कारण पंचायत सदस्यों को दोहरे लाभ प्रदान किए गए प्रतीत होते है ।

Sr. No.	Name of panchayat Member	Panchayat Meeting Date	Mustrol No.	Mustrol Date	Days in Which Double atttandance marked	Rate	Amount
1	Smt. Naina Devi	26.06.23	2711	26.06.23	1	224	224
2	Sh. Bhoj Prakash	09.05.23	4332	09.05.23	1	208	208
3	Sh. Bhoj Prakash	14.09.23	1328	14.09.23	1	203	203
	Total						**635**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 10.10.2024 द्वारा द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वसूली करके निधि में जमा कर दिया जाएगा तथा

जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : मनरेगा निधि से की गयी **₹ 635** के अधिक भुगतान की वसूली करने के उपरांत संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत ज्येष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) ,जिला कुल्लू (हि० प्र०)के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल प्रिंटर व लेपटॉप व 7 कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे फ़र्निचर,टेवल ,कुर्सी ,क्रॉकरी,हीटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जो की गंभीर अनियमितता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनाँक 03.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा । अत : पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

15. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे ।

अभिलेखों की नमूना पड़ताल में पाया गया की ग्राम पंचायत ज्येष्ठा विकास खण्ड कुल्लू (भुंतर) ,जिला कुल्लू (हि० प्र०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है परंतु अभिलेखो की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में भू- राजस्व से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है व साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । पड़ताल में यह भी पाया गया पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, तो उसके अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके । अत :भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण व वर्ष 2022-23 व 2023-24 में भू राजस्व की राशि की प्राप्ति न करने के कारणो को भी स्पष्ट किया जाए ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनाँक 03.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव

द्वारा सूचित किया गया कि भू-राजस्व से प्राप्त आय का मामला नंबरदार से व संबन्धित विभाग में उठाया जाएगा व वर्ष 2022-23 व 2023-24 की बकाया राशि की वसूली शीघ्र की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अत: सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

25 NOV 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

5690-5694 का0/ब0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3)81/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भून्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जेष्ठा, विकास खण्ड भून्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 NOV 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

का0/ब0

परिशिष्ट संख्या - 1
पैरा संख्या - 4(i)

Financial position of Gram Panchyat Jeshtha					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	7315686.76	3840471	11156157.76	6558918	4597239.76
2023-24	4597239.76	4606851	9204090.76	3393713	5810377.76

JA

Secretary
Gram Panchayat Jeshtha

23

परिशिष्ट संख्या – 2
पैरा संख्या 6-4(ii)

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Jeshtha					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2526966.00	2035153.00	4562119.00	1065759.00	3496360.00
2023-24	3496360.00	552390.00	4048750.00	576414.00	3472336.00

Secretary Gram Panchayat Jeshtha

24

परिशिष्ट संख्या - 3
प्रश्न संख्या - 4 बैंक समाधान विवरणी

कार्यालय ग्राम पंचायत ज्येष्टा
विकास खण्ड भून्तर जिला कुल्लू

Sheet GP Jeshtha

Sr.No.	Bank A/C No.	Branch	Head	C.B.
1	20006006597	KCCB Kullu	Own/Grant/5th State	3536771
2	20151010029	KCCB Parla Bhunter	Not Know	197279
3	50067373723	KCCB Garsa	14 FC/LADA/OWN	1433134
4	6438000100086356	PNB Bhunter	14 FC	2827.60
5	073601000833	ICICI Kullu	15 FC	3496002
6	88220100056415	HPGB Garsa	IAY	71346
7	88220100057265	HPGB Garsa	KPLAD/SDP	15787.40
8	88220100056406	HPGB Garsa	OWN	74741
9	88221700089937	HPGB Garsa	SBM	0
10	558002010000477	UBI Bhunter	Mid Himalaya	115357.85
11	558002010000276	UBI Bhunter	Mid Himalaya	250699.60
			Total :-	**9193945.45**

Secretary
Gram Panchayat Jeshtha
Distt. Kullu (H.P.)

परिशिष्ट संख्या - 4
पैरा संख्या - 4 (iii)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Jeshtha

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0.00	2946942.00	2946942.00	2946942.00	0.00
2023-24	0.00	4252536.00	4252536.00	4252536.00	0.00

28

परिशिष्ट संख्या- 5
पैरा संख्या -6 (क)

कार्यालय ग्राम पंचायत ज्येष्टा
विकास खण्ड भून्तर जिला कुल्लू

Detail House Tex w.e.f 04/2022 to 03/2024

Year	Number of House Holds	Rate Per House Hold	Opening Balance	Due Amount	Total	Received Amount	Balance Amount
2022-23	763	30	96730	22890	119620	0	119620
2023-24	787	30	119620	23610	143230	15530	127700

Secretary
Gram Panchayat Jeshtha
Dev. Block Bhunter
Distt. Kullu (H.P.)

27

परिशिष्ट संख्या - 6
पैरा संख्या - 6 (घ)

कार्यालय ग्राम पंचायत ज्येष्टा
विकास खण्ड भून्तर जिला कुल्लू

अवधि **01-04-2022** से **31-03-2024** विवाह दान प्राप्ति

दिनांक	प्राप्ति का विवरण	राशि
30-05-2022	विवाह दान	400
31-05-2022	विवाह दान	400
31-05-2022	विवाह दान	400
13-06-2022	विवाह दान	400
20-07-2022	विवाह दान	400
29-07-2022	विवाह दान	400
17-08-2022	विवाह दान	200
07-09-2022	विवाह दान	200
27-09-2022	विवाह दान	200
01-10-2022	विवाह दान	200
07-10-2022	विवाह दान	200
07-01-2023	विवाह दान	200
25-02-2023	विवाह दान	200
15-03-2023	विवाह दान	200
18-03-2023	विवाह दान	200
23-03-2023	विवाह दान	400
15-05-2023	विवाह दान	400
02-06-2023	विवाह दान	400
24-06-2023	विवाह दान	400
24-06-2023	विवाह दान	400
01-07-2023	विवाह दान	400
08-08-2023	विवाह दान	200
12-08-2023	विवाह दान	200
23-09-2023	विवाह दान	400
09-11-2023	विवाह दान	400
20-11-2023	विवाह दान	400
07-12-2023	विवाह दान	400
13-12-2023	विवाह दान	200
20-12-2023	विवाह दान	400
23-12-2023	विवाह दान	400
01-01-2024	विवाह दान	400
23-01-2024	विवाह दान	400
21-02-2024	विवाह दान	400
16-03-2024	विवाह दान	400
18-03-2024	विवाह दान	400
21-03-2024	विवाह दान	400
	योग :-	**12000**

Secretary
Gram Panchayat Jeshta
Dev. Block Bhuntar
Distt. Kullu (H.P.)

परिशिष्ट संख्या- 7
पृष्ठ संख्या - 8

कार्यालय ग्राम पंचायत ज्येष्टा
विकास खण्ड भून्तर जिला कुल्लू

स्वीकृति दिनांक	कार्य का नाम	शिर्ष	स्वीकृत राशि
31-07-2017	नि0 रोड रामनगर से आशणी RD 0 से RD 470	LADA	500000
17-08-2021	नि0 रोड रामनगर वस स्टेंड से रामनगर धारना की ओर	LADA	500000
04-10-2021	नि0 रोड रामनगर से आशणी RD 470 से RD 1160	LADA	500000
26-09-2022	नि0 रोड रामनगर वस स्टेंड से शैण भृगूपूरी	VKVNY	500000
25-03-2022	नि0 ट्रैक्टर सडक रोगना मोगरा से रोगना धार	LADA	500000
23-092023	नि0 सराएं भवन नजदीक कला डेहरी ज्येष्टा	LADA	500000

परिशिष्ट संख्या - 8
प्रश्न संख्या - 9 (ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
General head										
1	Trijugi Tile & Paver	939/24-08-22	Sand	5833	175	4.95	1.62	8.02	80	642
2	Do		Agri.	1219	40	1.13	1.52	1.72	80	138
3	Do	940/24-08-22	Sand	5666	170	4.81	1.62	7.79	80	624
4	Do		Agri.	8534	280	7.92	1.52	12.04	80	964
5	Do	941/24-08-22	Sand	3999	120	3.40	1.62	5.50	80	440
6	Do		Agri.	7315	240	6.79	1.52	10.32	80	826
7	Do	942/24-08-22	Sand	1666	50	1.42	1.62	2.29	80	183
8	Do		Agri.	3648	100	2.83	1.52	4.30	80	344
9	Do	943/24-08-22	Sand	3660	110	3.11	1.62	5.04	80	403
10	Do		Agri.	6705	220	6.23	1.52	9.46	80	757
11	Do	1036/17-11-22	Sand	4191	110	3.11	1.62	5.04	80	403
12	Do	1037/17-11-22	Sand	8382	200	5.66	1.62	9.17	80	734
13	Do		Agri.	5200	130	3.68	1.52	5.59	80	447
14	Do	1060/22-11-22	Sand	4191	110	3.11	1.62	5.04	80	403
15	Do		Agri.	8170	220	6.23	1.52	9.46	80	757
16	Do	1201/17-12-22	Sand	5334	140	3.96	1.62	6.42	80	513
17	Do		Agri.	11142	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
18	BS Printer	026/26/05/22	Brics	57200	5200 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	0.05	260
19	do	035/06-06-22	Brics	16170	1470 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	0.05	74
20	Trijugi Traders	842/01-09-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
21	Do		Agri.	5572	150	4.25	1.52	6.45	80	516
22	Do	1058/22-11-22	Sand	2280	60	1.70	1.62	2.75	80	220
23	Do	1059/22-11-22	Sand	4572	120	3.40	1.62	5.50	80	440
24	Do	1252/23-01-23	Sand	50292	1200	33.96	1.62	55.02	80	4401
25	Do	1253/23-01-22	Sand	19050	500	14.15	1.62	22.92	80	1834
26	Do		Agri.	14856	400	11.32	1.52	17.21	80	1377
27	Do	1254/23-01-23	Sand	20955	500	14.15	1.62	22.92	80	1834
28	do	1281/08-02-23	Sand	25146	600	16.98	1.62	27.51	80	2201
29	Do	1375/	Sand	6286	150	4.25	1.62	6.88	80	550
30	BS Printer	003/08-04-22	Brics	25300	2300 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	80	115
31	Do	002/07-04-22	Brics	66000	6000 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	80	300
32	Do	004/08-04-22	Brics	66000	6000 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	80	300
33	Do	025/26-05-22	Brics	5800	800 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	80	40
34	Do	034/06-06-22	Brics	38830	3530 No	0.00	5000/1 Lac	0.00	80	177
35	Trijugi Tiles	647/08-06-22	Sand	40005	1050	29.72	1.62	48.14	80	3851
36	Do	650/08-06-22	Agri.	22284	600	16.98	1.52	25.81	80	2065
37	Do	640/08-06-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
38	Do	648/08-06-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
39	Do		Agri.	3714	100	2.83	1.52	4.30	80	344
40	Trijugi Tiles & Paver	1793/10-12-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
41	Do	1989/20-01-24	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
42	Do		Agri.	7428	150	4.25	1.52	6.45	80	516
43	Do	1990/20-01-24	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
44	Do	1991/20-01-24	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
45	Do	1978/01-10-23	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
46	Do		Agri.	7428	150	4.25	1.52	6.45	80	516
47	Do	2053/Nil	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
48	Do		Agri.	7285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
49	Do	2054/11-03-24	Sand	23143.5	450	12.74	1.62	20.63	80	1650
50	Do		Agri.	21856.5	450	12.74	1.52	19.36	80	1549
51	Do	1988/23-02-24	Sand	15429	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
52	Do		Agri.	14856	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
MG NREGA								0.00	80	0
53	Trijugi Tiles & Paver	216/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
54	Do	217/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477

55	Do	234/02-05-22	Sand	6286	150	4.25	1.62	6.88	80	550
56	Do	218/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
57	Do	219/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
58	Do	219/02-05-22	Sand	6286.5	150	4.25	1.62	6.88	80	550
59	Do	231/02-05-22	Sand	6286	150	4.25	1.62	6.88	80	550
60	Do	214/02-05-22	Sand	5440	130	3.68	1.62	5.96	80	477
61	Do	232/02-05-22	Sand	6286	150	4.25	1.62	6.88	80	550
62	Do	220/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
63	Do	221/02-05-22	Sand	5448	130	3.68	1.62	5.96	80	477
64	Do	215/02-05-22	Sand	5448	130	3.68	1.62	5.96	80	477
65	Do	222/02-05-22	Sand	5448	130	3.68	1.62	5.96	80	477
66	Do	229/02-05-22	Sand	4952	130	3.68	1.62	5.96	80	477
67	Do	223/02-05-22	Sand	4952	130	3.68	1.62	5.96	80	477
68	Do	224/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
69	Do	235/02-05-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
70	Do	225/02-05-22	Sand	5448	130	3.68	1.62	5.96	80	477
71	Do	236/02-05-22	Sand	5715	150	4.25	1.62	6.88	80	550
72	Do	226/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
73	Do	227/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
74	Do	213/02-05-22	Sand	5448	130	3.68	1.62	5.96	80	477
75	Do	233/02-05-22	Sand	6286	150	4.25	1.62	6.88	80	550
76	Do	228/02-05-22	Sand	4953	130	3.68	1.62	5.96	80	477
77	Do	230/02-05-22	Sand	2857	75	2.12	1.62	3.44	80	275
78	Do	237/02-05-22	Sand	9448	248	7.02	1.62	11.37	80	910
79	Do	238/02-05-22	Agri.	18456	497	14.07	1.52	21.38	80	1710
80	Do	239/02-05-22	Sand	9448	248	7.02	1.62	11.37	80	910
81	Do	240 /02-05-22	Agri.	18458	497	14.07	1.52	21.38	80	1710
82	Do	243/02-05-22	Sand	9448	248	7.02	1.62	11.37	80	910
83	Do	244/02-05-22	Agri.	17986	497	14.07	1.52	21.38	80	1710
84	Do	241/02-05-22	Sand	9448	248	7.02	1.62	11.37	80	910
85	Do	242/02-05-22	Agri.	17986	497	14.07	1.52	21.38	80	1710
86	Do	245/02-0522	Sand	14542	347	9.82	1.62	15.91	80	1273
87	Do	246/02-05-22	Agri.	27800	695	19.67	1.52	29.90	80	2392
88	Do	248/02-05-22	Agri.	27801	695	19.67	1.52	29.90	80	2392
89	Do	688/Nil	Sand	7162	188	5.32	1.62	8.62	80	690
90	Do	688/Nil	Agri.	13028	360	10.19	1.52	15.49	80	1239
	Total									**75788**

Santosh Kumar
Junior Auditor

परिशिष्ट संख्या - 9
पैरा संख्या - 9 (iii)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	आय कर की दर	राशि
General head						
1	Inder Dutt Vill. Koishu Dhar P.O. Thella The. Bhunter Distt Kullu	005/03-08-22	JCB Cutting	218486	1%	2184.86
2	Do	008/08-08-22	Do	149450	1%	1494.50
3	Do	007/08-08-22	Do	148000	1%	1480.00
4	Trijugi Tile & Paver	939/24-08-22	Sand	5833	2%	116.66
5	Do		Agri.	1219	2%	24.38
6	Do	940/24-08-22	Sand	5666	2%	113.32
7	Do		Agri.	8534	2%	170.68
8	Do	941/24-08-22	Sand	3999	2%	79.98
9	Do		Agri.	7315	2%	146.30
10	Do	942/24-08-22	Sand	1666	2%	33.32
11	Do		Agri.	3648	2%	72.96
12	Do	943/24-08-22	Sand	3660	2%	73.20
13	Do		Agri.	6705	2%	134.10
14	Do	1036/17-11-22	Sand	4191	2%	83.82
15	Do	1037/17-11-22	Sand	8382	2%	167.64
16	Do		Agri.	5200	2%	104.00
17	Do	1060/22-11-22	Sand	4191	2%	83.82
18	Do		Agri.	8170	2%	163.40
19	Do	1201/17-12-22	Sand	5334	2%	106.68
20	Do		Agri.	11142	2%	222.84
21	Trijugi Traders	842/01-09-22	Sand	5715	2%	114.30
22	Do		Agri.	5572	2%	111.44
23	Do	1058/22-11-22	Sand	2280	2%	45.60
24	Do	1059/22-11-22	Sand	4572	2%	91.44
25	Do	1252/23-01-23	Sand	50292	2%	1005.84
26	Do	1253/23-01-22	Sand	19050	2%	381.00
27	Do		Agri.	14856	2%	297.12
28	Do	1254/23-01-23	Sand	20955	2%	419.10
29	Do	1281/08-02-23	Sand	25146	2%	502.92
30	Do	1375/	Sand	6286	2%	125.72
31	Trijugi Tiles	647/08-06-22	Sand	40005	2%	800.10
32	Do	650/08-06-22	Agri.	22284	2%	445.68
33	Do	640/08-06-22	Sand	5715	2%	114.30
34	Do	648/08-06-22	Sand	5715	2%	114.30
35	Do		Agri.	3714	2%	74.28
36	Inder Dutt	012/03-12-22	JCB Cutting	149604	1%	1496.04
37	Do	013/04-12-22	JCB Cutting	151034	1%	1510.34
38	Do	015/02-01-23	JCB Cutting	281512	1%	2815.12
39	Trijugi Tiles & Paver	1793/10-12-22	Sand	5715	2%	114.30
40	Do	1989/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58
41	Do		Agri.	7428	2%	148.56
42	Do	1990/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58
43	Do	1991/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58

44	Do	1978/01-10-23	Sand	15429	2%	308.58
45	Do		Agri.	7428	2%	148.56
46	Do	2053/Nil	Sand	15429	2%	308.58
47	Do		Agri.	7285	2%	145.70
48	Do	2054/11-03-24	Sand	23143.5	2%	462.87
49	Do		Agri.	21856.5	2%	437.13
50	Do	1988/23-02-24	Sand	15429	2%	308.58
51	Do		Agri.	14856	2%	297.12
MG NREGA						
52	Trijugi Tiles & Paver	216/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
53	Do	217/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
54	Do	234/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
55	Do	218/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
56	Do	219/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
57	Do	219/02-05-22	Sand	6286.5	2%	125.73
58	Do	231/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
59	Do	214/02-05-22	Sand	5440	2%	108.80
60	Do	232/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
61	Do	220/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
62	Do	221/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
63	Do	215/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
64	Do	222/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
65	Do	229/02-05-22	Sand	4952	2%	99.04
66	Do	223/02-05-22	Sand	4952	2%	99.04
67	Do	224/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
68	Do	235/02-05-22	Sand	5715	2%	114.30
69	Do	225/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
70	Do	236/02-05-22	Sand	5715	2%	114.30
71	Do	226/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
72	Do	227/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
73	Do	213/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
74	Do	233/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
75	Do	228/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
76	Do	230/02-05-22	Sand	2857	2%	57.14
77	Do	237/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
78	Do	238/02-05-22	Agri.	18456	2%	369.12
79	Do	239/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
80	Do	240 /02-05-22	Agri.	18458	2%	369.16
81	Do	243/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
82	Do	244/02-05-22	Agri.	17986	2%	359.72
83	Do	241/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
84	Do	242/02-05-22	Agri.	17986	2%	359.72
85	Do	245/02-0522	Sand	14542	2%	290.84
86	Do	246/02-05-22	Agri.	27800	2%	556.00
87	Do	248/02-05-22	Agri.	27801	2%	556.02
88	Do	688/Nil	Sand	7162	2%	143.24
89	Do	688/Nil	Agri.	13028	2%	260.56
	Total					**27804.61**

Santosh Kumar
Junior Auditor

परिशिष्ट संख्या - 10
पैरा संख्या - 9 (ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	GST की दर	राशि
General head						
1	Inder Dutt Vill. Koishu Dhar P.O. Thella The. Bhunter Distt Kullu	005/03-08-22	JCB Cutting	218486	2%	4369.72
2	Do	008/08-08-22	Do	149450	2%	2989.00
3	Do	007/08-08-22	Do	148000	2%	2960.00
4	Trijugi Tile & Paver	939/24-08-22	Sand	5833	2%	116.66
5	Do		Agri.	1219	2%	24.38
6	Do	940/24-08-22	Sand	5666	2%	113.32
7	Do		Agri.	8534	2%	170.68
8	Do	941/24-08-22	Sand	3999	2%	79.98
9	Do		Agri.	7315	2%	146.30
10	Do	942/24-08-22	Sand	1666	2%	33.32
11	Do		Agri.	3648	2%	72.96
12	Do	943/24-08-22	Sand	3660	2%	73.20
13	Do		Agri.	6705	2%	134.10
14	Do	1036/17-11-22	Sand	4191	2%	83.82
15	Do	1037/17-11-22	Sand	8382	2%	167.64
16	Do		Agri.	5200	2%	104.00
17	Do	1060/22-11-22	Sand	4191	2%	83.82
18	Do		Agri.	8170	2%	163.40
19	Do	1201/17-12-22	Sand	5334	2%	106.68
20	Do		Agri.	11142	2%	222.84
21	Trijugi Traders	842/01-09-22	Sand	5715	2%	114.30
22	Do		Agri.	5572	2%	111.44
23	Do	1058/22-11-22	Sand	2280	2%	45.60
24	Do	1059/22-11-22	Sand	4572	2%	91.44
25	Do	1252/23-01-23	Sand	50292	2%	1005.84
26	Do	1253/23-01-22	Sand	19050	2%	381.00
27	Do		Agri.	14856	2%	297.12
28	Do	1254/23-01-23	Sand	20955	2%	419.10
29	Do	1281/08-02-23	Sand	25146	2%	502.92
30	Do	1375/	Sand	6286	2%	125.72
31	Trijugi Tiles	647/08-06-22	Sand	40005	2%	800.10
32	Do	650/08-06-22	Agri.	22284	2%	445.68
33	Do	640/08-06-22	Sand	5715	2%	114.30
34	Do	648/08-06-22	Sand	5715	2%	114.30
35	Do		Agri.	3714	2%	74.28
36	Inder Dutt	012/03-12-22	JCB Cutting	149604	2%	2992.08
37	Do	013/04-12-22	JCB Cutting	151034	2%	3020.68
38	Do	015/02-01-23	JCB Cutting	281512	2%	5630.24
39	Trijugi Tiles & Paver	1793/10-12-22	Sand	5715	2%	114.30
40	Do	1989/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58
41	Do		Agri.	7428	2%	148.56
42	Do	1990/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58
43	Do	1991/20-01-24	Sand	15429	2%	308.58
44	Do	1978/01-10-23	Sand	15429	2%	308.58
45	Do		Agri.	7428	2%	148.56
46	Do	2053/Nil	Sand	15429	2%	308.58
47	Do		Agri.	7285	2%	145.70

48	Do	2054/11-03-24	Sand	23143.5	2%	462.87
49	Do		Agri.	21856.5	2%	437.13
50	Do	1988/23-02-24	Sand	15429	2%	308.58
51	Do		Agri.	14856	2%	297.12
MG NREGA					2%	
52	Trijugi Tiles & Paver	216/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
53	Do	217/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
54	Do	234/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
55	Do	218/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
56	Do	219/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
57	Do	219/02-05-22	Sand	6286.5	2%	125.73
58	Do	231/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
59	Do	214/02-05-22	Sand	5440	2%	108.80
60	Do	232/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
61	Do	220/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
62	Do	221/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
63	Do	215/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
64	Do	222/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
65	Do	229/02-05-22	Sand	4952	2%	99.04
66	Do	223/02-05-22	Sand	4952	2%	99.04
67	Do	224/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
68	Do	235/02-05-22	Sand	5715	2%	114.30
69	Do	225/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
70	Do	236/02-05-22	Sand	5715	2%	114.30
71	Do	226/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
72	Do	227/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
73	Do	213/02-05-22	Sand	5448	2%	108.96
74	Do	233/02-05-22	Sand	6286	2%	125.72
75	Do	228/02-05-22	Sand	4953	2%	99.06
76	Do	230/02-05-22	Sand	2857	2%	57.14
77	Do	237/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
78	Do	238/02-05-22	Agri.	18456	2%	369.12
79	Do	239/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
80	Do	240 /02-05-22	Agri.	18458	2%	369.16
81	Do	243/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
82	Do	244/02-05-22	Agri.	17986	2%	359.72
83	Do	241/02-05-22	Sand	9448	2%	188.96
84	Do	242/02-05-22	Agri.	17986	2%	359.72
85	Do	245/02-0522	Sand	14542	2%	290.84
86	Do	246/02-05-22	Agri.	27800	2%	556.00
87	Do	248/02-05-22	Agri.	27801	2%	556.02
88	Do	688/Nil	Sand	7162	2%	143.24
89	Do	688/Nil	Agri.	13028	2%	260.56
	Total			**1939274**		**38785.47**

Santosh Kumar

Junior Auditor